

कार्यालय प्रभारी अधिकारी भण्डार कय
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांक: प्र0अ0भ0क्र0 / 2017-18 / 128


दिनांक-22, जुलाई, 2017

कार्यालय आदेश

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष (वाह्य शोध इकाईयों सहित)

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 129/XXVII(7)32/2007 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 जारी की गयी है जिसके फलस्वरूप पूर्व में जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 यथा संशोधित 2015 अतिक्रमित हो चुकी है। कुलपति जी द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली- 2017 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली को विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर "Facilities" tab के अन्तर्गत भण्डार क्रय कार्यालय खण्ड में अपलोड कर दिया गया है।

अतः अधिप्राप्तियों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।


प्रभारी अधिकारी, भण्डार कय

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक प्रशासन।
2. वित्त नियन्त्रक।
3. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति जी के सूचनार्थ।